

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14502/2017

1. पुरुषोत्तम लाल जगनानी पुत्र श्री तेजा राम जगनानी, निवासी, खेतानो का मोहल्ला, झुंझुनू, तहसील एवं जिला झुंझुनू । मृतक के बाद से प्रतिनिधित्व अब निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है -
 - 1/1. सुरेश कुमार जगनानी, पुत्र स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनाण, निवासी खेतानो का मोहल्ला, झुंझुनू, तहसील एवं जिला. झुंझुनू.
 - 1/2. राम चन्द्र जगनानी, पुत्र स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनाण, निवासी खेतानो का मोहल्ला, झुंझुनू, तहसील एवं जिला. झुंझुनू.
 - 1/3. लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनानी, निवासी खेतानो का मोहल्ला, झुंझुनू, तहसील एवं जिला. झुंझुनू.
 - 1/4. विमला देवी पुत्री स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनानी, निवासी वैशाली नगर, जयपुर।
 - 1/5. सीता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनानी, निवासी शताजली सोसायटी के पास, रायपुर छत्तीसगढ़।
 - 1/6. संतोष देवी, पुत्री स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनानी, निवासी पुरानी तहसील के पास, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू.
 - 1/7. उषा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनानी, निवासी गौशाला रोड चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू.
 - 1/8. मंजू देवी पुत्री स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल जगनानी, निवासी लोहा भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।

----गैर-आवेदक-याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय, खेतानो का मोहल्ला, झुंझुनू, जरिये ट्रस्टी कैलाश चंद केडिया, पुत्र श्री चांदी प्रसाद केडिया, निवासी मित्तल कॉलोनी, पुराना बस स्टैंड, झुंझुनू, वर्तमान में 4/21, मालवीय नगर, जयपुर
2. अर्जुन लाल केडिया, पुत्र श्री प्रभु दयाल केडिया, निवासी इन्द्रा नगर, झुंझुनू, भूतपूर्व ट्रस्टी श्री ठाकुर जी लक्ष्मी नाथ जी ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय, खेतानो का मोहल्ला, झुंझुनू।

----आवेदक-उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से	:	श्री अजीत कुमार भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जय शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त
उत्तरदाता (ओं) की ओर से	:	श्री एम.एम. रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री रोहन अग्रवाल के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

आरक्षित तिथि : 23/01/2025

घोषित तिथि : 28/01/2025

1. यह याचिका दिनांक 09.05.2017 के कब्जे की वसूली के प्रमाण पत्र और दिनांक 26.02.2013 के अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
 2. याचिकाकर्ता - पुरुषोत्तम लाल जगनानी (अब कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व) को दिनांक 01.11.1971 के किराया नोट द्वारा प्रतिवादी
-

नंबर 1 - श्री ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी ट्रस्ट (संक्षेप में 'ट्रस्ट') द्वारा किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था। दुकान का किराया 324/- रुपये था, जो छह महीने के अंतराल के बाद देय था। ट्रस्ट ने 11.10.2002 को परिसर खाली करने के लिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। ट्रस्ट ने फिर से 23.02.2006 को परिसर खाली करने और 12.04.2006 से किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस दिया। याचिकाकर्ता द्वारा परिसर खाली करने में विफल रहने पर, कब्जे की वसूली और मध्यावधि लाभ के भुगतान के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन 26.02.2013 को अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील दिनांक 09.05.2017 को खारिज कर दी गई, फलस्वरूप यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा यह है कि 14.09.2005 की अधिसूचना को संशोधित करने वाले राजस्थान राजपत्र असाधारण दिनांक 02.02.2018 में प्रकाशित शुद्धिपत्र पूर्वव्यापी नहीं है। ट्रस्ट की संपत्ति फरवरी 2018 तक राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') के अध्याय II और III की प्रयोज्यता से मुक्त नहीं थी और बेदखली की कार्यवाही केवल अधिनियम के तहत ही की जा सकती थी। **स्ट्रॉबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम गुट्टा मिल वर्क्स यूनियन** के मामले में **एआईआर 1953 एससी 95 और महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड पाली बनाम**

औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर और अन्य. एआईआर 1954 राज. राजस्थान राज्य की रिपोर्ट 1962 राजस्थान 258 में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया गया है; और.

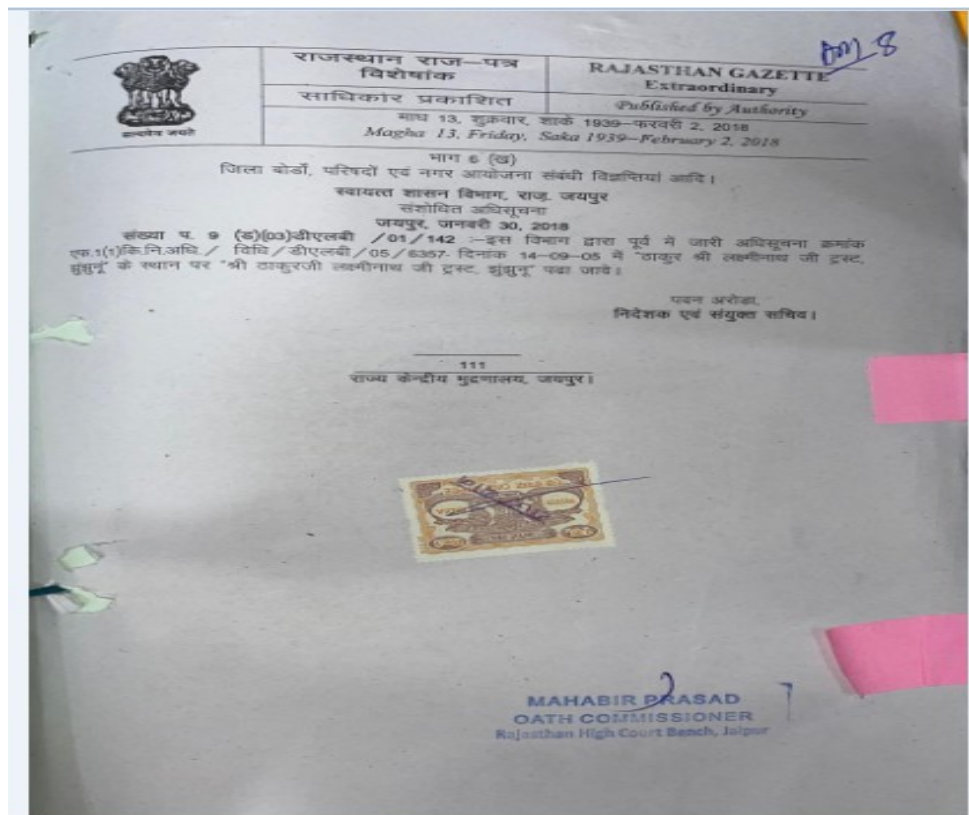
4. प्रतिवाद के अनुसार, अब जो दलील दी जा रही है, वह किराया न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाई गई थी। इसके अलावा, शुद्धिपत्र केवल मुद्रण संबंधी त्रुटि को सुधारने के लिए जारी किया गया था। याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं कर रहा है कि अधिनियम की धारा 3 (viii) के अंतर्गत अधिसूचना और शुद्धिपत्र ट्रस्ट से संबंधित हैं।

5. राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (संक्षेप में 'अधिनियम') को 25.02.2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 11.03.2003 को राजस्थान राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया। अधिनियम की धारा 3 उन परिसरों का प्रावधान करती है जिन पर अधिनियम का अध्याय II और III लागू नहीं होता। अधिनियम की धारा 3 (viii) के अनुसार, ऐसे परिसर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी कर विनिर्दिष्ट धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षणिक न्यास से स्वामित्वाधीन हो, वे उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर हैं।

6. दिनांक 14.09.2005 को धारा 3 (viii) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में कहा गया था कि अधिनियम के अध्याय II और III, ट्रस्ट के स्वामित्व वाली संपत्तियों

पर लागू नहीं होते। अधिसूचना में ट्रस्ट का नाम "श्री ठाकुरजी लक्ष्मीनाथ जी ट्रस्ट, झुंझुनू" के स्थान पर "ठाकुर श्री लक्ष्मीनाथ जी ट्रस्ट, झुंझुनू" लिखा गया था। यह त्रुटि राजस्थान राजपत्र असाधारण में दिनांक 02.02.2018 को प्रकाशित शुद्धिपत्र द्वारा सुधारी गई।

शुद्धिपत्र पुनः प्रस्तुत है:-



7. याचिकाकर्ता द्वारा यह मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है कि दिनांक 14.09.2005 की अधिसूचना ट्रस्ट से संबंधित नहीं है या दिनांक 14.09.2005 की अधिसूचना में उल्लिखित नाम से कोई अन्य ट्रस्ट विद्यमान है।

8. यह तर्क कि दिनांक 30.01.2018 का शुद्धिपत्र भावी है और अधिनियम के अध्याय II और III की अप्रयोज्यता 30.01.2018 से होगी, भ्रांतिपूर्ण है। जारी किया गया शुद्धिपत्र सुधारात्मक है और अधिनियम की धारा 3(viii) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि से संबंधित होगा। इस तर्क को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि पूर्व अधिसूचना में सुधार करने के लिए जारी किया गया शुद्धिपत्र, ट्रस्ट को अधिनियम के अध्याय II और III की प्रयोज्यता से एक नई छूट प्रदान करेगा। दूसरे शब्दों में, शुद्धिपत्र एक नई अधिसूचना होगी जो प्रयुक्त स्पष्ट भाषा के विरुद्ध है।

9. सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय का संदर्भ लेना उपयोगी होगा।

भारत सरकार एवं अन्य बनाम भारतीय तंबाकू एसोसिएशन (2005)7 एससीसी396 में रिपोर्ट किया गया कि:-

“15. यदि भारत सरकार का इरादा केवल किसी अन्य बंदरगाह, हवाई अड्डे या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के निर्यातकों को ही उक्त लाभ प्रदान करना होता, तो अधिसूचना दिनांक 7.4.1997 के खंड (2) के उप-खंड (iv) में संलग्न प्रावधान का सहारा लिया जा सकता था। लेकिन अधिसूचना दिनांक 27.11.1997 के कारण, एक 'समुद्री बंदरगाह' और 'छह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो' जोड़े गए हैं। बंदरगाह की श्रेणी में अंतिम दो शब्द, अर्थात्, "तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम", "तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम और काकीनाडा" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। इसी

तरह, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की श्रेणी में अंतिम दो शब्द, अर्थात्, लुधियाना और हैदराबाद "को "लुधियाना, हैदराबाद, नागपुर, आगरा, फरीदाबाद, जयपुर, गुंटूर और वाराणसी" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता है जहां लाभ के विस्तार के उद्देश्य से कुछ अन्य बंदरगाहों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को जोड़ा गया है, लेकिन नए जोड़े गए बंदरगाहों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को मूल अधिसूचना का हिस्सा बनाया गया था। अधीनस्थ कानून बनाते समय भारत संघ ने जानबूझकर "जोड़" शब्द के स्थान पर "प्रतिस्थापन" शब्द का प्रयोग किया था। इस प्रकार, भारत संघ द्वारा जारी की गई बाद की अधिसूचना का उद्देश्य और तात्पर्य वही लाभ प्रदान करना था जो उन निर्यातकों को दिया गया था जो अन्य बंदरगाहों, हवाई अड्डों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पर पंजीकृत थे, जैसा कि 7.4.1997 की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, लेकिन उन निर्यातकों को भी, जो ऐसे बंदरगाहों या अंतर्देशीय डिपो से निर्यात कर रहे थे, जैसा कि 27.11.1997 की संशोधित अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

यदि केंद्र सरकार का इरादा प्रतिवादी एसोसिएशन के सदस्यों को केवल भावी प्रभाव से लाभ प्रदान करने का था, तो वह ऐसा स्पष्ट रूप से कह सकती थी। ऐसा लाभ दिनांक 7.4.1997 की अधिसूचना के खंड (2) के उप-खंड (iv) में संलग्न परंतुक का सहारा लेकर भी दिया जा सकता था। अतः, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संशोधित अधिसूचना के कारण, केंद्र सरकार का इरादा केवल एक गलती को सुधारने का था और इस प्रकार, इसका पूर्वव्यापी प्रभाव और पूर्वव्यापी संचालन होगा।

ए.पी. राज्य बनाम ए.पी. राज्य वक्फ बोर्ड और अन्य में एआईआर 2022 एससी (सप्प) 645 में रिपोर्ट किया गया था:-

"हमें यह जाँचना होगा कि "इरेटा" शब्द का दायरा और अर्थ क्या है। "इरेटा" फ्रांसीसी मूल का एक शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी चीज़ जिसे सुधारा जाना चाहिए। इसका अर्थ है मुद्रण या लेखन में कोई त्रुटि। पार्वती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) 6 एएलएलजे 50 नामक एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:-

XXXXXXXXXX

न्यायमूर्ति एल.पी. सिंह और मजूमदार द्वारा लिखित न्यायिक शब्दकोश, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 552 में, असम राजकीय उद्योग कर्मि संघ बनाम असम राज्य, (1996) गौ. एल.आर. 236, (पृष्ठ 241 पर) में निम्नलिखित अंश को उद्धृत करते हुए, शब्द "शुद्धिपत्र" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"शुद्धिपत्र" शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है, चीज़ों का सही होना। इसका अर्थ है कि कोई त्रुटि अवश्य है और उसे संशोधित व सुधारना आवश्यक है। शुद्धिपत्र की आड़ में, किसी नियम में परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में यही किया गया है। किसी नियम में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए, नियम बनाने में अपनाई गई उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

24. "शुद्धिपत्र" शब्द के अर्थ और अनुप्रयोग पर न्यायालयों द्वारा बार-बार विचार किया गया है। विक्रयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम इनलप इंडिया लिमिटेड (1994) 92 एसटीसी 571 में, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिसूचना में किसी त्रुटि को सुधारने के लिए शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, इसलिए यह मूल अधिसूचना जारी होने की तिथि से संबंधित होगा।”

25. पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2000) 5 एससीसी 765 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के लिए शुद्धिपत्र या 'अधिक शुद्धिपत्र' जारी करने पर कोई रोक नहीं है।

XXX XXX XXX

27. उपरोक्त के मद्देनजर, कानूनी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि शुद्धिपत्र केवल मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक को सुधारने के लिए ही जारी किया जा सकता है। हालाँकि, इसका उद्देश्य केवल मुद्रण/अंकगणितीय त्रुटि को सुधारना है। इसका न तो कानून जैसा प्रभाव हो सकता है और न ही यह किसी व्यक्ति के निहित अधिकार को छीन सकता है और न ही इसका कानून द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के अधिकारों को निरस्त करने का प्रभाव हो सकता है।

**श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम डॉ. मनु एवं अन्य,
एआईआर 2023 एससी 2645 में यह माना गया:-**

9.2. उपर्युक्त प्राधिकारियों से निम्नलिखित सिद्धांत निकाले जा सकते हैं:

i) यदि कोई कानून उपचारात्मक है या पूर्ववर्ती कानून का स्पष्टीकरण मात्र है, तो उसके पूर्वव्यापी प्रभाव की अनुमति दी जा सकती है।

ii) किसी अनुवर्ती आदेश/प्रावधान/संशोधन को पिछले कानून का स्पष्टीकरण माना जाने के लिए, पूर्व-संशोधित कानून अस्पष्ट या संदिग्ध होना चाहिए था। किसी प्रावधान की तर्कसंगत व्याख्या तभी असंभव होगी जब उसमें संशोधन को पढ़ा न जाए, तभी उस संशोधन को पिछले कानून का स्पष्टीकरण या घोषणा माना जाएगा और इसलिए उसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।

iii) अर्थ-व्याख्या/स्पष्टीकरण मूल प्रावधान के दायरे का विस्तार या परिवर्तन नहीं कर सकता है।

iv) केवल इसलिए कि किसी प्रावधान को स्पष्टीकरण/व्याख्या के रूप में वर्णित किया गया है, न्यायालय स्वयं कानून में उक्त कथन से बाध्य नहीं है, बल्कि उसे संशोधन की प्रकृति का विश्लेषण करना होगा और फिर निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या यह वास्तव में एक स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक प्रावधान है या यह एक मूलभूत संशोधन है जिसका उद्देश्य कानून को बदलना है और जो भावी रूप से लागू होगा।

(बल दिया गया)

10. निष्कर्ष निकालने से पहले यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन प्राधिकारियों पर भरोसा किया गया है, उन पर विचार किया जाए जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

10.1. **स्ट्रॉबोर्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम गुट्टा मिल वर्क्स यूनियन (उपर्युक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पंचाट देने की अवधि को पश्चात् प्रभाव से बढ़ाने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3, 4 और 6 के तहत यह माना गया कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

10.2. **महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड, पाली बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर एवं अन्य (उपरोक्त)** मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की वैधता के मुद्दे पर विचार किया, जो कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जारी रहे, लेकिन बाद में एक अधिसूचना द्वारा नियुक्ति की शर्तों में संशोधन कर दिया गया। यह माना गया कि यह संशोधन, बीच की अवधि के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को वैध नहीं ठहराएगा।

10.3. **कपूरचंद बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त)** के मामले में मुद्दा यह था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सक्षम अधिकारी सरकार थी और शक्तियों के

प्रत्यायोजन के बिना, अधीनस्थ प्राधिकारी ने शक्तियों का प्रयोग किया। यह माना गया कि बाद में शक्तियों का प्रत्यायोजन पहले से पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेशों को मान्य नहीं करेगा।

11. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह माना जाता है कि शुद्धिपत्र केवल नाम सुधारने के लिए जारी किया गया था और यह मूल अधिसूचना की तिथि से संबंधित होगा। रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/227

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate

[2025:आरजे-जेपी:3829]

[सीडब्ल्यू-14502/2017]